# *भाग क*

## राजस्व प्राप्तियां

नीचे दिए गए विवरण में 2009-10 के लिए राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों का सारांश स्थूल श्रेणीवार दिया गया है। ये अनुमान करों की विद्यमान दरों पर आधारित हैं। इस विवरण के बाद दी गई टिप्पणियों में विभिन्न भागों और लेखा शीर्षों के अनुसार ब्यौरे भी दिए गए हैं, जिनके साथ दी गई संक्षिप्त टिप्पणियों में बजट और संशोधित अनुमान 2008-2009 के बीच अंतर और संशोधित अनुमानों तथा 2009-2010 के बजट अनुमानों के अंतर को स्पष्ट किया गया है।

संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 जिसे दिनांक 1/4/1996 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी किया गया है, के अनुसार क्रमशः अनुच्छेद 268 और 269 में उल्लिखित करों तथा शुल्कों, अनुच्छेद 271 में उल्लिखित करों तथा शुल्कों पर अधिभार तथा संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत विशिष्ट प्रयोजनों के लिए लगाए गए किसी उपकर को छोडकर केंद्र की सूची में उल्लिखित सभी कर भारत सरकार द्वारा लगाए तथा संग्रहित किए जाएंगें तथा वित्त आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा जैसा निर्धारित किया जाए उस तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे।

वर्ष 2005-2010 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वितरण का तरीका बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद जारी राष्ट्रपति के आदेश में निर्धारित किया गया है।

*(करोड़ रुपए)*

| | | बजट 2008-2009 | संशोधित 2008-09 | बजट 2009-10 |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **कर राजस्व** | | | |
| | निगम कर | 226361 | 222000 | 244200 |
| | आय पर कर | 138314 | 122600 | 135375 |
| | धन कर | 325 | 400 | 425 |
| | सीमा शुल्क | 118930 | 108000 | 110187 |
| | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क | 137874 | 108359 | 110604 |
| | सेवा कर | 64460 | 65000 | 68900 |
| | संघ राज्य क्षेत्रों के कर | 1451 | 1590 | 1602 |
| | **जोड़-कर राजस्व** | **687715** | **627949** | **671293** |
| | जिसमें से व्यय के एवज में घटाया गया (राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि एनसीसीएफ को वित्तपोषित करने के लिए एनसीसीडी) | 1800 | 1800 | 2500 |
| | सकल कर राजस्व का शेष | 685915 | 626149 | 668793 |
| | ***घटाइए-राज्यों का हिस्सा# :*** | **178765** | **160179** | **171197** |
| | ***केन्द्र का निवल कर राजस्व*** | ***507150*** | ***465970*** | ***497596*** |
| **II.** | **कर-भिन्न राजस्व** | | | |
| | ब्याज प्राप्तियां | 19135 | 19036 | 19000 |
| | लाभांश और लाभ | 43204 | 39736 | 36985 |
| | अन्य कर-भिन्न राजस्व | 32631 | 36682 | 55216 |
| | संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व | 815 | 749 | 754 |
| | **जोड़-कर-भिन्न राजस्व** | **95785** | **96204** | **111955** |
| | ***निवल-केन्द्र का राजस्व*** | ***602935*** | ***562174*** | ***609551*** |

*# केंद्रीय करों/शुल्कों में हिस्से का राज्यवार वितरण अनुबंध-I में दर्शाया गया है।*